भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 972

(जिसका उत्तर रविवार, 20 सितंबर, 2020 को दिया गया)

कोविड-19 के दौरान दिवाला घोषित की गई कंपिनयाँ

972. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कोई आंकडा है कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के पश्चात कर्नाटक राज्य में कितनी कंपनियों को दिवाला घोषित किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) कोविड-19 लॉकडाउन के पश्चात बेंगलुरू शहर में दिवाला घोषित की गई कंपनियों की संख्या कितनी है; और
(घ) कर्नाटक राज्य से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत वर्ष 2020 में अब तक कितनी कंपनियों ने कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, 25.03.2020 से 31.08.2020 की अवधि के दौरान, एनसीएलटी बेंगलुरू न्यायपीठ जिसका क्षेत्राधिकार कर्नाटक राज्य है, द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 (वित्तीय लेनदार) के अंतर्गत 01, धारा 9 (प्रचालन लेनदार) के अंतर्गत 03, और धारा 10 (कारपोरेट आवेदक) के अंतर्गत 04 सहित कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए 08 याचिकाएं स्वीकार कर ली गई हैं। उक्त सभी 08 याचिकाएं बेंगलुरू शहर की कंपनियों से संबंधित हैं।

(घ): 01.01.2020 से 31.08.2020 की अवधि के दौरान एनसीएलटी, बेंगलुरू न्यायपीठ जिसका कर्नाटक राज्य क्षेत्राधिकार है, के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7, 9 और 10 के अंतर्गत कुल 209 याचिकाएं फाइल की गई थीं।

******